



## नज्जी क्षेत्र के बैंकों की कॉर्पोरेट संरचना की समीक्षा

### प्रलिस के लिये:

पी. के. मोहंती आंतरिक कार्य समूह, वभिदति बैंक, सार्वभौमिक बैंक, नॉन-ऑपरेटिवि फाइनेंसियल होल्डिंग कंपनी

### मेन्स के लिये:

नज्जी क्षेत्र के बैंकों की कॉर्पोरेट संरचना पर RBI की रपिर्ट

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय नज्जी क्षेत्र के बैंकों के स्वामित्व और कॉर्पोरेट ढाँचे पर मौजूदा दशानरिदेशों की समीक्षा के लिये गठित 'आंतरिक कार्य समूह' (Internal Working Group- IWG) द्वारा अपनी रपिर्ट पेश की गई।

## प्रमुख बडि:

- भारतीय रजिख बैंक द्वारा इस पाँच सदस्यीय आंतरिक कार्य समूह (Internal Working Group -IWG) का गठन सेंटरल बोर्ड के नदिशक पी. के. मोहंती की अध्यक्षता में किया गया था।
- IWG द्वारा नज्जी क्षेत्र के बैंकों के लिये स्वामित्व और नयितरण, प्रवर्तकों की धारता, कंपनी के मौजूदा शेयरधारकों के स्वामित्व प्रतशित में कमी, नयितरण और मतदान के अधिकार आदि से संबंधित मौजूदा लाइसेंसिंग और वनियामक दशा-नरिदेशों की समीक्षा की गई है।

## समूह के लिये के संदर्भ की शर्तें

### (Terms of Reference- ToR):

- भारतीय नज्जी क्षेत्र के बैंकों में स्वामित्व और नयितरण से संबंधित मौजूदा लाइसेंसिंग दशा-नरिदेशों और नयियों की समीक्षा करना।
- प्रवर्तकों/प्रमोटरस की शेयरधारता से संबंधित नयियों तथा उनकी शेयरधारता घटाने की समय-सीमा की समीक्षा करना।
- बैंकिंग लाइसेंस के लिये आवेदन करने और इससे संबंधित मुद्दों पर प्र व्यक्तियों तथा संस्थाओं को आवश्यक पात्रता मानदंडों की जाँच और समीक्षा करना।
- नॉन-ऑपरेटिवि फाइनेंसियल होल्डिंग कंपनी (Non-operative Financial Holding Company- NOFHC) में शेयरधारता से संबंधित नयियों का अध्ययन करना और सभी बैंकों के लिये एक समान वनियमन को लागू करने से संबंधित सुझाव देना।
  - NOFHC, एक प्रकार की गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) होती है। इस प्रकार की NBFC में प्रमोटरस को एक नया बैंक स्थापति करने की अनुमति दी जा सकती है।
- बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े किसी भी अन्य सार्थक मुद्दे की पहचान करना और उससे संबंधित सफिराशें करना।

## समति की प्रमुख सफिराशें:

- वर्तमान में प्रवर्तकों/प्रमोटरस के लिये नज्जी क्षेत्र के बैंकों में अधिकतम शेयरधारता की सीमा बैंकों के पेड-अप वोटिंग इक्विटी पूंजी का 15 प्रतशित है, इसे मौजूदा स्तर से बढ़ाकर 26 प्रतशित किया जा सकता है।
- गैर-प्रवर्तक शेयरधारकों के लिये अधिकतम शेयरधारता की सीमा बैंक के पेड-अप वोटिंग इक्विटी पूंजी के 15 प्रतशित की एक समान कैप नरिधारता की जा सकती है।
- बैंकों के प्रवर्तकों के रूप में बड़े कॉर्पोरेट/औद्योगिक घरानों के प्रवेश के लिये 'बैंकिंग वनियमन अधनियम' (Banking Regulation Act)- 1949 में संशोधन किया जाना चाहिये तथा नज्जी बैंकों के सभी बड़े प्रमोटरस के समेकित पर्यवेक्षण के लिये मौजूदा तंत्र को मज़बूत किया जाना चाहिये।
- अच्छा ट्रैक रकिॉर्ड रखने वाली बड़ी NBFCs जनिकी संपत्तिका आकार 50,000 करोड़ रुपए या इससे अधिक है, उन्हें परचालन के 10 वर्ष पूरे करने तथा इस संबंध में नरिदषिट अतरिकित शर्तों का अनुपालन करने पर बैंकों में रूपांतरण के लिये योग्य माना जा सकता है।

- भुगतान बैंकों (Payments Banks) को 'लघु वित्त बैंक' (Small Finance Bank) में बदलने के लिये आवश्यक मानदंडों के रूप में 3 वर्ष का अनुभव पर्याप्त है।
- लघु वित्त बैंक और भुगतान बैंक की पूंजी का आकार 6 वर्ष के भीतर 'सार्वभौमिक बैंकों' की शुरुआत के लिये आवश्यक न्यूनतम प्रचलित एंटी कैपिटल के समतुल्य नेटवर्थ तक पहुँच जाए या परिचालन को 10 वर्ष पूरे हो जाए (जो भी पहले हो), तो उसे सार्वभौमिक बैंक के रूप में मान्यता दी जा सकती है।
  - गौरतलब है कि भारतीय रज़िर्व बैंक द्वारा दो प्रकार के लाइसेंस जारी किये जाते हैं: 'सार्वभौमिक बैंक लाइसेंस' (universal Bank Licence) और 'वभिदति बैंक लाइसेंस' (Differentiated Bank Licence)। भुगतान बैंक और लघु वित्त बैंक एक विशेष प्रकार के बैंक हैं, जनिहें कुछ सीमति बैंकगि क्रयिकलापों की अनुमति है।
- नए बैंकों को लाइसेंस देने के लिये आवश्यक न्यूनतम प्रारंभिक पूंजी की आवश्यकता को सार्वभौमिक बैंकों के लिये 500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1000 करोड़ रुपए और छोटे वित्त बैंकों के लिये 200 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 300 करोड़ रुपए तक कयिा जाना चाहयि।
- NOFHC को सार्वभौमिक बैंकगि के लिये लाइसेंस जारी करने में वरीयता दी जा सकती है। वर्तमान में NOFHC संरचना के अंतर्गत आने वाले ऐसे बैंक, जनिके पास अन्य समूह इकाइयाँ नहीं हैं, उन्हें सार्वभौमिक बैंकगि प्रणाली से बाहर नकिलने की सुवधि देनी चाहयि।

## नषिकरष:

- भारतीय रज़िर्व बैंक द्वारा गठति इस कार्य समूह की सफ़ारशों को लागू करने से वभिन्नि समयवध में स्थापति बैंकों के लिये बनाए गए नयिमों को त्रकसंगत एवं उचति रूप से लागू कयिा जा सकेगा जसिसे बैंकगि लाइसेंस प्रणाली में पारदरशति को बढ़ावा मलैगा।

## स्रोत:इंडयिन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/rbi-group-report-on-private-banks-review>

